रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 43 ● अंक – 17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2021 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

कैन्सर के दर्द का समाधान फिर से

कानपुर, कैंसर आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2025 तक 87 प्रतिशत भारतीयों को कैंसर होने का अंदेशा जताया है, आज के बिगड़ते खान–पान, रहन–सहन, वातावरण पर्यावरण आदि अनेक कारणोंवश कैंसर सहित अनेकानेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, कैंसर की इस विभीषिका में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की महती भूमिका है, गैंग्रीनांल फोर्ट के नाम से निर्मित नयी अनुसंधानित दर्द निवारक औषधि अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई है।

कैंसर के दर्द की स्थिति में यह औषधि रामबाण की तरह कार्य करती है, भारत सरकार के औषधि निभाग **C.D.R.I.** सहित कई विभागों द्वारा इस औषधि का प्रमाणन कराया जा चुका है, बनी औषधियों की प्राण ऊर्जा पर आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यह औषधि देश के विभिन्न स्थानों दिल्ली, गुरूग्राम, इंदौर, जोधपुर और देहरादून के बाद अब कानपुर में भी कैंसर पेन एण्ड पैलिएटिव केयर सेंटर का शुभारम्भ विधायक महेश त्रिवेदी एवं ब्रह्मकुमारी बहन बी0 के0 दुलारी ''दादी'' के कर कमलों एवं आशीर्वचन से सम्पन्न हुआ ।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गाज़ियाबाद स्थित सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डा0 के0 पी0 सिन्हा, डिप्टी डायरेक्टर डा0 प्रभात कुमार भी पधारे, इस अवसर पर आने वाले कैंसर दर्द से परेशान रोगियों का परीक्षण एवं निदान के साथ कैंसर दर्द से आराम दिलाने का भी कार्य किया जायेगा।

कानपुर स्थित यह कैंसर दर्द निवारक केन्द्र कानपुर सहित समस्त उ0प्र0 के कैंसर रोगियों के लिए वरदान कैंसर पेन एण्ड पैलिएटिव केयर सेंटर के नाम से स्थापित यह केन्द्र मैटी ग्रुप ट्रस्ट रजि0 कानपुर द्वारा स्थापित किया जा रहा है, आम जनता की सेवा में यह केन्द्र अब कार्य करने जा रहा है जो कि कैंसर के दर्द से छटपटाते रोगियों के लिए आशा का केन्द्र सिद्ध होगा।

इस अवसर पर बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं उसकी कानूनी स्थिति की जानकारी दी, इस केन्द्र के संचालक के रूप में डा0 वी0 कुमार ने कहा कि इस केन्द्र में कैंसर दर्द के निवारण पर कार्य करते हुए सम्पूर्ण भारत में स्थापित होने वाले अन्य केन्द्रों के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जायेगा।

विदित हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कैन्सर के इलाज का जनपद कानपुर एक प्रमुख केन्द्र रहा है, स्थानीय गोविन्द नगर में 60 के दशक से कैन्सर हॉस्पिटल का संचालन सफलता पूर्वक होता रहा है यहाँ देश विदेश के रोगी अपना इलाज कराते रहे हैं, यह चिकित्सालय लगभग 2007 तक संचालित रहा है।

इस अवसर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अनेकानेक चिकित्सक डा0 राजेश दीक्षित, डा0 एम0 पी0 गुप्ता, डा0 अल्का, डा0 प्रशान्त शुक्ला, डा0 डी0 पी0 मिश्रा, डा0 एस0 एल0 पाण्डेय सहित अन्य चिकित्सा पद्धतियों के भी चिकित्सक उपस्थित हुए।

कानपुर कैन्सर पेन एण्ड पैलिएटिव केयर सेन्टर का उदघाटन करते माननीय विधायक श्री महेश त्रिवेदी

कानपुर कैन्सर पेन एण्ड पैलिएटिव केयर सेन्टर के उदघाटन के अवसर पर अपने विचार देते हुये बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी

मान्यता कार्य के बिना असम्भव

I am, however to suggest that the Society may, if they desire, arrange to treat patients to prove the efficacy of the system of treatment, if and when this system is found to be efficacious and is also generally recognised as such, the state government will be glad to take up the question of its recognition...

यह उद्‌गार उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने सन् 1953 में व्यक्त किये थे, जिससे स्पष्ट है कि कार्य करने के पश्चात ही मान्यता प्राप्त की जा सकती है, केवल इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि पद्धति की उपयोगिता एवं गुणवत्ता के साथ ही जन मानस द्वारा अपनाये जाने पर ही मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, उनके इस कथन से एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि जन मान्यता के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु यह कार्य विधिक रूप से किया जा रहा हो अर्थात राज्य में प्रचलित कानूनों का उल्लघंन न होता हो।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, समिति का दृष्टिकोंण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक है किन्तु अन्तर विभागीय समिति के समक्ष उपस्थित प्रपोज़लकर्ताओं द्वारा वांछित की पूर्ति समिति की मांग के अनुरूप न किये जाने के कारण समिति किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रही है, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में ऐसी ही भावना दिखायी देती है, सरकार द्वारा सतत् सन् 1999 से यह प्रयास जारी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसका स्थान दिया जा सके।

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित हुई थी उसने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचरोपैथी एवं योगा के अतिरिक्त प्रचलित अन्य कोई भी चिकित्सा पद्धति निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करती हैं इसलिए इन्हें मान्यता देने पर विचार नहीं किया जा सकता है, समिति ने यह भी कहा कि गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियां पूर्णकालिक बैचलर व मास्टर डिग्री प्रदान नहीं कर सकती हैं।

वर्तमान चरण में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का कार्यक्रम पिछले 4 वर्षों से चल रहा है जिसमें कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं प्रस्तुत किया गया कि गत यह 4 वर्षों की उपलब्धि हो अपितु लगातार यही कहा जाता रहा कि लगभग 100 वर्षों में बहुत कार्य किया गया किन्तु इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, जबकि अब तक इसके कई चरण हो चुके हैं गत चरणों में निरन्तर वांछित की पूर्ति के लिए समय मांगा जाता रहा है और उस मांगे गये समय में भी कुछ नहीं किया गया है जिसका प्रमाण भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा की गयी प्रतिक्रियाओं से मिलता है, समिति ने अपनी बैठकों में इस विषय पर अपनी तीखी टिप्पणी भी की है।

अभी अद्यतन बैठक का सन्दर्भ देते हुए यह कहा गया कि यदि वांछित की पूर्ति नहीं की जाती है तो प्रकरण को बन्द कर दिया जायेगा इससे यह सन्देश मिलता है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित समिति ने यह समझ लिया है कि हमारे पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सन्देह भी नहीं है क्योंकि लगभग 4 वर्षों तक मांग किये जाने के बावजूद हम वांछित की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

हमारे पास कुछ होता तो हम अवश्य प्रस्तुत कर सकते थे हमारे पास कहने को बहुत कुछ है परन्तु हम वह प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, मान्यता के लिए कार्य तो करना ही होगा और वह भी जन सामान्य के बीच, जन मानस के सामने अपनी उपायोगिता तो सिद्ध करनी ही होगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास का अधिकार देते आदेश

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता दिये जाने से सम्बन्धित CWP. No 4015/96 में दिनांक 18–11–1998 को निम्न आदेश जारी किया —

We issue the following directions :-

(1) The central/state government shall consider making legislation prescribing:

(a) Grant of licenses to the existing and new institutes conducting courses in Electropathy and other alternative system of medicine.

(b) Minimum standards of education and check on the functioning of such institutes on the lines set out in sections 17,18,19 & 19 A of the Medical Council Act 1956:

(c) Minimum Qualification for getting admission in such institutes:

(d) Conditions entitling these institutes to issue diplomas and certificates: and

(e) Right to use the prefix "Doctor" and to issue medical certificates th the patients by diploma/certificate holders from such institutes.

(2) Respondents 10 to 16 and the like institutes shall not award any degree for the courses conducted by them.

(3) Respondent No.10 shall forthwith delete the misleading statements printed on pages 47 & 50 of the prospectus issued by it.

(4) Respondent No.12 shall not make misleading claim in regard to its having been recognised by the Medical Council of India/respondent No.5 in the advertisements.

(5) Adequate publicity through the media shall be given by the Government(s) informing general public about respondents 10 to 16 and similar other institutes not being recognised and affiliated with any of the councils under aforesaid Acts of 1956,1970 & 1973.

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान पटल द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की प्रभावोत्पादकता /गुणवत्ता की जाँच हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया जिसने पहले से मान्यता प्राप्त परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को ही मान्यता देने हेतु समिति द्वारा विकसित किये गये आवश्यक एवं वांछनीय मापदण्डों को पूरा करते हुए पाया गया।

समिति ने सुझाव दिया कि वे सभी चिकित्सा पद्धतियों को जिन्हें अलग पद्धति के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है को पूर्णकालिक स्नातक और मास्टर की उपाधि के पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, समिति की इन सिफारिशों को जांचोपरान्त स्वीकार किया तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को इस निर्णय का व्यापक स्तर पर प्रचार करने का निर्देश दिया इस आशय का आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जारी आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा जारी रखने का स्पष्ट उल्लेख है, भारत सरकार द्वारा जारी यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए स्पष्ट एवं प्रथम दिशा निर्देश है।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 31904/1991 में पारित आदेश दिनांक 03–08–2009 के अनुपालन में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 5–5–2010 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के आदेश संख्या R.14015/25/96-U&H(R)(part) के प्रावधान से किया जाता हो, मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी क्रियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जावेगा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 3992/2004 में पारित आदेश दिनांक 11–10–2010 के अनुपालन में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने अपने आदेश दिनांक 21–06–2011 में देश की सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को निर्देशित किया है कि वह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर 2003 तथा 5–5–2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा, शिक्षा ,अनुसंधान एवं विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्देश माने।

उत्तर प्रदेश शासन ने भी अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 2914/पीच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 में उल्लेख किया है कि *बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर 2003 एवं 5–5–2010 के अनुसार ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है।* उपरोक्त सभी आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कार्य करने का अधिकार देते हैं।

उदघाटन समारोह के अवसर पर मंच पर क्रमशः बायें से दायें डा0 प्रभात कुमार सिन्हा, डा0 के0 पी0 सिन्हा निदेशक SEHAK, श्रीमती वी0 के0 दुलारी (दादी जी) एवं डा0 वी0 कुमार छाया गजट

Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.'s Semester Exam Starts from 27th September

Important Instructions

Candidates should go through the instructions given on the Answer Book carefully; Candidates should sit only on the allotted seats. Candidates must see their details on the Desk Slip before occupying the seat. The seats allotted to candidates who are absent should be left vacant. Candidates are not allowed to carry any text material, printed or written, piece of paper, tables, mobile phones and other electronic devices; Candidates found copying or resorting to any unfair means including giving/receiving help to / from any candidate during the exam or violating any conditions of exam will be summarily disqualified.

Candidates may approach the Centre Superintendent in case of any difficulty and should abide by his/her instructions and decisions. Complaints, if any, regarding the examination should be given in writing to the centre Superintendent of the concern centre. Candidates will not be allowed to leave the examination hall before the closure of the exam, Candidates need to maintain the social distancing. All candidates must wear masks. All candidates are required to bring 50 ml sanitizer and transparent water bottles along with them.The candidates are requested to reach the centre well before time to avoid any inconvenience] due to thermal scanning etc.Seating plan at the centre shall be made in accordance to the social distancing norms. If any candidate is found with the symptoms close to COVID-19, he/she may not be allowed to appear in the exam. As the thermal guns are not accurate if a candidate reports with high temperature then he/she may be allowed to take exam in isolation. If any candidate feels symptoms of high fever during the exam, he/she must be moved to the isolation room for completing his/her exam. the candidate shall put the answer copy in the bin/space provided in the room one by one and shall leave the room while maintaining the self-distancing norms. On completion of the exam, the candidates should be permitted to move out in an orderly manner. Required distance will be maintained without crowding anywhere.

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION SEPTEMBER 2021

Name of the course	27th September, 2021 Monday	28th September , 2021 Tuesday	29th September , 2021 Wednesday	30th September , 2021 Thursday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy & Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Ophthalmology including ENT	M. Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M. Jurisprudence	Midwifery Cynics, Ophthalmology & Practice of Med.

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रशासनिक कार्यालय कानपुर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुये सर्वश्री डा0 पी0 कुमार, बोर्ड के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी, SEHAK दिल्ली एन0सी0आर से पधारे डा0 प्रभात कुमार सिन्हा एवं डा0 के0 पी0 सिन्हा छाया गजट

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8–लाल बाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
www.behm.org.in
Email: registrarbehmup@gmail.com

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु निम्न जनपदों में स्टडी सेन्टर्स स्थापनार्थ इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन

आमंत्रित हैं

प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्द शहर, सहारनपुर, शामली, मुज़फ्फर नगर, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, फैज़बाद, सुलतानपुर, श्रवस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, ग़ाज़ीपुर, बलिया, वाराणासी, चन्दौल, भदोही, औरैया फर्रुखाबाद एवं कन्नौज।

आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।

कानपुर में उदघाटन समारोह के अवसर मंच से डा0 के0 पी0 सिन्हां अपने विचारों जनता के बीच साझा करते हुये छाया गज़ट